आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
8/4/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 20.6.24 को पेश हो।	
20/6/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमियां खातेदारी की भूमियां है। मौके पर विभाजन होकर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपभोग उपयोग कर रहे है। प्रतिवादी संख्या (1) अपनी मन मर्जी से मोलभाव कर विक्रय करने पर आमादा है मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन हेतु तैयार नहीं है अतः मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का विक्रय हस्तान्तरण नहीं हो, मौके की यथास्थिति बनी रहे इस आशय की विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी संख्या (1) मौके पर काबिज अनुसार विभाजन हेतु तैयार है प्रारंभिक डिग्री का आदेश जारी कर दिया जावे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता पक्षकारान की [illegible] के आधार पर मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमियों के मौके [illegible] यथास्थिति बनाये रखे [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द	ना.इ.भ.ना.मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:43:57 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर ... कुम्भलगढ़